<u>राज्यं सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्ना संख्याख 1570</u>

<u>11 मार्च, 2015 को उत्तेर के लिए</u>

चीनी इस्पात के आयात पर प्रतिबंध

1570. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय इस्पात उत्पादकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से चीनी इस्पात के आयात पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार भारतीय इस्पात उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि वे मांग व आपूर्ति में सामंजस्य बना सकें;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या रणनीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्त)र</u>

<u>इस्पांत और खान राज्यो मंत्री</u> **<u>श्री विष्णुं देव साय</u>**

(क): जी नहीं। तथापि, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि दिनांक 12.3.2012 के इस्पाणत और इस्पाकत उत्पासद (गुणवत्ताप नियंत्रण) आदेश, जिसे अन्तिम बार 4.12.2014 को संशोधित किया गया था , के अनुसार भारत में केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पा त का आयात हो।

(ख) से (घ) :इस्पाात एक नियंत्रणमुक्तय क्षेत्र है। इसलिए, इस्पाढत उद्योग के विकास में सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में ही सीमित है। सरकार नीतिगत दिशा-निर्देशों को तय करती है और उत्पाादन क्षमता में विस्ताूर करने के निर्णय उद्यमियों द्वारा मौजूदा और प्रत्याकशित बाजार/आर्थिक स्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं।

****